न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–187 / 2020
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम लंबोदर कुमार गिरी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18/12/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1237 / म0नि0को0, दिनांक–19.09.2020 से प्राप्त केवटी थाना कांड संख्या–58 / 20, दिनांक–11.06.2020 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कूटी रजि0 सं0–BR07AK-3310 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल गश्ती के क्रम में NH527(B) वास्तु विहार के सामने पहूँचने पर देखा गया कि एक स्कुटी पर तीन व्यक्ति सवार था तथा जोर–जोर से शोर–शराबा करते हुए जा रहा था, जिसे पूलिस बल के सहयोग से आगे बढ़कर रोका गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम / पता पुछने के क्रम में शराब की गंध आ रही थी। तत्पश्चात् दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त स्कूटी रजि0 सं0–BR07AK-3310 की विधिवत् तलाशी ली गयी तो उस स्कुटी के सीट के नीचे से 750 एम0एल0 का सील टुटा हुआ एक बोतल बरामद हुआ, जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त जब्त वाहन के स्वामी है। जब्त वाहन केवटी थाना में खुले में रखा हुआ है। जिससे प्रतिदिन क्षति हो रहा है। विपक्षी उक्त वाहन के विमुक्ति हेतु प्रतिभूति आदि देने को तैयार है। अतः उक्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन स्कूटी रजि0 सं0–BR07AK-3310 से 750 एम0एल0 का 01 एक बोतल सील टुटा हुआ विदशी शराब बरामद हुआ जिसे पुलिस बल द्वारा उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन एवं दाखिल कारण–पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया, जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो। अगर विपक्षी के वाहन का दुरूपयोग किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो उनपर कानुनी कार्रवाई करने के लिए वे स्वतंत्र है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049 / 2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।	

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में केवटी थाना कांड संख्या–58/20, दिनांक–11.06.2020 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कूटी रजि0 सं0–BR07AK-3310 को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा